भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 1135
गुरुवार, 5 फ़रवरी, 2026/16 माघ, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

ओडिशा में क्षेत्रीय हवाई संपर्क

1135. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रहीः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वाइड-बॉडी और नैरो-बॉडी विमानों को शामिल किए जाने से बेड़े के एकीकरण और परिचालन तत्परता में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और विमानों की उपलब्धता, समय पर प्रचालन और कंधमाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के जिलों सहित ओडिशा के लिए क्षेत्रीय संपर्क में सुधार सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) और विमान कंपनियों द्वारा क्षेत्रीय विस्तार के दौरान संपरीक्षा, निरीक्षण, क्षमता निर्माण और डिजिटल निगरानी के माध्यम से विमानन सुरक्षा निरीक्षण को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमतों के रुझानों का हवाई किराए पर क्या प्रभाव है और केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के समन्वय से कंधमाल के आसपास कृषि-पर्यटन की क्षमता वाले आकांक्षी और जनजातीय क्षेत्रों सहित ओडिशा के यात्रियों के लिए किफायती, सुरक्षित और विश्वसनीय हवाई यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एटीएफ कराधान को युक्तिसंगत बनाने, कीमतों में अचानक वृद्धि से बचाव के उपाय करने और शिकायत निवारण में सुधार करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख) : नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के पास ओडिशा सहित पूरे देश में एयरलाइनों द्वारा विमानों को शामिल करने, ऑन-टाइम परफारमेंस (ओटीपी) और मार्ग युक्तिकरण की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र है। इसके अलावा, डीजीसीए ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक बहुस्तरीय निरीक्षण तंत्र स्थापित किया है कि एयरलाइनों द्वारा सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए, विशेष रूप से बेड़े के आकार में तेजी से विस्तार और प्रचालनों के चरणों के दौरान विमानों को बेड़े में शामिल करने, उड़ान परिचालन में वृद्धि, मार्ग विस्तार और वेट/ड्राई लीजिंग सहित सभी विस्तार गतिविधियां,
सुरक्षा तैयारियों की विस्तृत जांच के बाद डीजीसीए द्वारा पूर्व अनुमोदन के अध्याधीन हैं। डीजीसीए समय-समय पर विशेष ऑडिट, निरीक्षण और उड़ान परिचालनों को शामिल करते हुए निगरानी, उड़नयोग्यता, प्रशिक्षण, सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) और रखरखाव परिपाटियों संबंधी गतिविधियां आयोजित करता है। डीजीसीए परिचालन प्रदर्शन, सुरक्षा संकेतकों और कार्यबल पर्याप्तता और अनुपालन स्थिति की समीक्षा करने के लिए एयरलाइन प्रबंधन और प्रमुख पदधारकों के साथ बैठकें आयोजित करता है। कमियों के मामले में, डीजीसीए आवश्यकतानुसार सुधारात्मक और प्रवर्तन कार्रवाई करता है, जिसमें कारण बताओ नोटिस जारी करना, परिचालन प्रतिबंध या अनुमोदनों का निलंबन और वित्तीय जुर्माना जैसा भी आवश्यक हो, शामिल है।

(ग) : हवाई किराए पर विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) की लागत, राज्य/संघराज्य सरकारों द्वारा एटीएफ पर लगाया गया मूल्य वर्धित कर, बाजार प्रतिस्पर्धा, यात्री मांग और मौसमी बदलाव सहित कई कारक प्रभाव डालते हैं। एटीएफ की कीमतें बाजार से जुड़ी होती हैं और एयरलाइन परिचालन लागत का एक महत्वपूर्ण घटक बनाती हैं। एक नियंत्रणमुक्त विमानन क्षेत्र में, हवाई किराया वायुयान नियामवली, 1937 के नियम 135 के अनुसार, बाजार की शक्तियों के आधार पर एयरलाइनों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

हालांकि सरकार प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए सामान्य परिस्थितियों में हवाई किराए को विनियमित नहीं करती है, लेकिन यह यात्री कल्याण के हित में अस्थायी किराया सीमा या क्षमता युक्तिकरण सहित अनुचित या अवसरवादी मूल्य निर्धारण को रोकने के लिए सतर्क रहती है और असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप करती है।

इसके अलावा, एयरसेवा पोर्टल, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) की एक पहल, समयबद्ध तरीके से शिकायत निवारण को सक्षम बनाती है और परेशानी मुक्त हवाई यात्रा के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करती है।
